न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।

भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या...544/2023

06.10.2023

आवेदिका श्रीमती शकुन्तला देवी पति श्री भगवत लाल, साकिन– कोडरमा, पोस्ट– कोडरमा, थाना–कोडरमा, जिला–कोडरमा के द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :–

मौजा	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	किस्म
कुण्डई	325	4	249	4 डी0	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्तेहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक ...13.../...10.../2023 को प्रस्तुत करें।

06/10/23

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

13.10.2023

16.10.2023

अभिलेख उपस्थापित।

आम इश्तेहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–कुण्डई, थाना नं0–325, खाता सं0–4, प्लॉट सं0–249, रकबा–4 डी0 भूमि ऑनलाईन पंजी–II के पृष्ठ संख्या–109, भाग संख्या–2 पर श्रीमती शकुन्तला देवी पति श्री भगवत लाल के नाम से ऑनलाईन जमाबन्दी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष–2022–23 तक निर्गत है। उक्त भूमि आवेदक को केवाला सं0–6103 दिनांक 27.09.2007 द्वारा हासिल है। भूमि रैयती खाते की है। शपथ पत्र संख्या–108, दिनांक 15.09.2023 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts-1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामान्तरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय में सुरक्षित रहेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधिसम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

16/10/23

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

06.पंजी 27 में संबंधित जमाबंदी की सत्यंता की जाँच की गई एवं पाया गया कि :–

07.आवेदक द्वारा अपने दावे के संबंध में निम्नांकित कागजात प्रस्तुत किया गया है:–

(1) केवाला सं 6103 दि० 27.9.2007 की छायाप्रति
(2) शपथपत्र सं 108 दि० 15.9.2023 की छायाप्रति
(3) online पंजी II की प्रति
(4) लगान रसीद वर्ष 2022-23 की प्रति

08.यदि जमाबंदी विक्रेता के स्वयं के नाम पर दर्ज नहीं है तो आवेदक द्वारा

(क) वंशावली दी गई है अथवा नहीं:– स्वयं

(ख) अन्य हिस्सेदारों का अनापत्ति प्राप्त है अथवा नहीं:– स्वयं

09.प्रश्नगत भू–खण्ड भू हदबंदी/भवन लीज या सरकारी संस्था की नहीं है तथा छोटानागपुर अधिनियम 190 एवं इसके नियमों के अन्तगर्त भूमि के हस्तांतरण पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है।

10.हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का स्पष्ट मंतव्य :–

मौजा कुन्दई महाराज थाना नं. 325 के online पंजी II के पृष्ठ सं. 109/2 पर खाता सं. 4 प्लॉट सं. 249 रकबा 0.04 ए. शकुन्तला देवी पति भागवत लाल के नाम से पंजीकृत केवाला सं. 6103 दि. 27.9.07 द्वारा उक्त भूमि आवेदिका को प्राप्त है। खाता खेसरा है। उक्त भूमि निबंधन योग्य है। अतः भूमि निबंधन हेतु भूमि सत्यापन प्रतिवेदन दिया जा सकता है।

हस्ताक्षर
अंचल निरीक्षक

Digitally signed by HALDHAR KUMAR SETHI
Date: 2024.12.27 17:03:49 +05:30
Location: 192.168.213.185

हस्ताक्षर
राजस्व कर्मचारी
नामः– रवीन्द्र कुमार
हल्का संख्याः– 07